मानवाधिकार एवं नारी सशक्तिकरण : जंग अब भी जारी है

डॉ0 मंजु मिश्रा*

वस्तुतः मानव के मौलिक अधिकार ही मूलाधिकार है जिन्हें मानवाधिकार की संज्ञा से अभिहित किया गया है। न्यायाधिपति श्री बेग ने कहा है कि 'मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो स्वयं संविधान में समाविष्ट है।'[1] मूलाधिकार वे आधारमूल अधिकार हैं जो नागरिकों के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक ही नहीं, वरन् अपरिहार्य हैं। इनके अभाव में व्यक्ति का बहुमुखी विकास सम्भव नहीं है।[2] मेनका गांधी[3] के प्रकरण में न्यायाधिपति श्री भगवती ने कहा है कि ''इन मूल अधिकारों का गहन उद्‌गम स्वतंत्रता का संघर्ष है। इन्हें संविधान में इस आशा और प्रत्याशा के साथ सम्मिलित किया गया था कि एक दिन सही स्वाधीनता का वृक्ष भारत में विकसित होगा।..... ये मूलाधिकार इस देश की जनता द्वारा वैदिक काल से संजोए गए आधारभूत मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे व्यक्ति की गरिमा का संरक्षण करने और ऐसी दशाएं बनाने के लिए परिकल्पित हैं जिनमें हर मानव अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। वे 'मानव अधिकरों' के आधारमूत ढ़ॉचे के आधार पर गारन्टी का एक ताना–बाना बुनते हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इसके विभिन्न आयामों में अतिक्रमण न करने की राज्यपर नकारात्मक वाध्यता अधिरोपित करते हैं।[4]

भारत में मानवाधिकार मानव–धर्म का ही अंग है। अतः इसका भाव अत्यन्त व्यापक है। जगत् के किसी भी अधिकार व्यवस्था की तुलना में उसे पूरे गर्व और आत्मसंतुष्टि के साथ उद्‌घाटित किया जा सकता है। अहिंसा और प्रेम भारतीय समाज की उच्चतर विधि है, इसी में मानवाधिकार की सम्पूर्ण परिकल्पना पलती है। आज हमारे देश में मानवाधिकार नियम बने हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यतानुसार पद–प्रतिष्ठा प्राप्त हो सके। समता मूलक समाज में शक्तिहीन मानव के रूप में महिला, बालक, निःशक्त, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, वृद्ध एवं अल्पसंख्यक वर्गों की प्रबलता सिविल एवं राजनैतिक तथा आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की प्रप्ति पर निर्भर करती है। महादेवी जी ने ठीक ही कहा है– 'एक नहीं दो–2 मात्राऍ नर से भारी–नारी।' तथा प्रसाद जी ने भी लिखा है–

नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वासरजत नग पग तल में।
पीयूष स्त्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में।।

सच तो यह है कि जगत् पिता के बाद जग में यदि किसी जीव का स्थान निर्धारित है, तो वह है– नारी।[5] नारी हृदय इतना विशाल है जिसे भगवान वामन भी नहीं माप सकते। उसके आत्म–गौरव की ऊॅचाई शंकर से भी ऊॅची है। बिना 'शक्ति' के शिव भी 'शव' सदृश हो जाते हैं। उसका गाम्भीर्य तो हिन्द महासागर से भी गम्भीरमत है। वह ऑसुओं में हॅस सकती है और अश्रुओं को रोक सकती है। इसी लिए उसे 'सर्व–मंगले, 'देवी', भगवती आदि नामों से सम्बोधित किया गया है। चाहे–अनचाहे सबको समय की मार खानी ही पड़ती है। कुछ ऐसी ही विडम्बना नारियों के साथ भी हुई। यद्यपि ऐसे संक्रमणशील कालावधि को छोड़कर सदैव महिलाओं ने अपना अप्रतिम सहयोग दिया है तथापि पुरूष–प्रधान समाज अपनी अज्ञानता के कारण स्त्री को 'दासी' रुप प्रदान कर 'भोग्या' समझने लगा। ''नारी घर के भीतर बिना किसी मुआवजे और छुट्‌टी के आजीवन, अहर्निशि श्रम करने के लिए अभिशप्त

* असि0 प्रो0– हिन्दी विभाग, महाराज बलवंत सिंह पी0जी0 कालेज, गंगापुर, वाराणसी

थी। पुरूष ने उसे अपना वंश चलाने के लिए प्रजननकारी कोख में बदल दिया था। शिक्षा और अधिकारों से वंचित करके उसे अपने बजाय दूसरों का ख्याल रखने के लिए प्रेरित किया जाता था।''[6] ऐसी वर्चस्वशाली अवस्था में देर–सबेर विद्रोह एवं उत्पात तो होना ही था। ''आखिर किस आधार पर एक जाति (पुरूष) दूसरी जाति (नारी) को शोषित करती रही? आखिर पुरूष को स्त्री की तुलना में श्रेष्ठ किसने कहा?..... पुरूषों की यह कैसी राजनीति जहॉ स्त्री को क्रान्तिचेता के रूप में न समझकर केवल एक माध्यम मात्र जाय?''[7] यह किस वर्ग एवं जाति का निर्णय रहा है कि परिवार में जब सब लोग खा चुकें तभी औरत को भोजन करने का हक है? आखिर कब तक औरत अपने पेट पर कपड़ा बॉधकर कार्य करती रहेगी? आखिर मुफ्त के श्रम की अपेक्षा स्त्री से ही क्यों? यदि संस्कृति एवं परम्परानुसार पति को खिला कर ही भोजन करना 'धर्म' है तो पुरूष का भी दायित्व होता है कि वह स्त्री की भावनाओं का कद्र करे।

आजादी के इन 66 वर्षों में कितनी बदल पाई है हमारी आधी दुनियॉ? देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर उद्यम के शीर्ष तक की यात्रा अपनी जगह है लेकिन गॉव–देहात की भोली–भाली महिलाओं ने भी अपना एक मुकाम बनाया है। अपने मकसद को हासिल करने और समाज में अपनी अलग पहचान कायम करने के लिए महिलाऍ पूरे दम–खम के साथ संघर्षरत हैं।[8] वह खुलकर अपने हक की न सिर्फ मॉग कर रही हैं, बल्कि उसके लिए हर चुनौती का सामान करने को कटिबद्ध है।

कहते हैं कि हक की लड़ाई तब और सहज हो जाती है, जब हमें अपने अधिकारों का भी ज्ञान हो। हमारे संविधान में नारी–हित के ढ़ेर सारे कानून बनाए गए हैं, जो भारतीय समाज में उनकी स्थिति और मजबूत करते हैं। वे हैं–

महिला संरक्षण कानून, दहेज प्रतिरोध अधिनियम, 1961, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984, बाल विवाह अवरोध (शारदा एक्ट) 1978, बच्चे पर अधिकार, हिन्दू–विवाह अधिनियम, 1955, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, हिन्दू उत्तराधिकार, 1956, प्रसूति सुविधा अधिनियम, गर्भ समापन कानून, 1971, प्रसव पूर्व तकनीक निवारण, 1994, अशिष्टरूपेण प्रतिरोध, 1987, यौन अपराध, छेड़छाड़ भी अपराध, यौन उत्पीड़न पर दिशा–निर्देश, गिरफ्तारी से जुड़े प्रावधान, गुजारा भत्ता मॉगने का अधिकार, पिता की संपति में हक, स्त्री और पुरूष को समान कार्य के लिए समान मजदूरी, देह व्यापार पर अंकुश के लगाने के लिए वेश्यावृत्ति संशोधन अधिनियम, 1986, पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित, सती निषेध अधिनियम आदि।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी राष्ट्रों के दृष्टिकोण में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ। फलस्वरूप राष्ट्रीयता की कल्पना के ऊपर अर्न्तराष्ट्रीय मानवीयता की कल्पना का जन्म हुआ। संयुक्त राष्ट्रसंघ का जन्म एवं मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948, इसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। इस प्रकार मानवधिकारों का अर्न्तराष्ट्रीकरण हो गया। मानवाधिकार एक विशेष प्रकार का वैश्विक नैतिक अधिकार बन गया है जिसकी प्रत्येक समाज एवं व्यक्ति को सदैव ही आवश्यकता रहती है तथा जब कभी, कहीं भी इन अधिकारों का हनन होता है– मानवाधिकार संस्थायें और आयोग सक्रिय हो उठते हैं।[9] 8 मार्च 1857 को न्यूयार्क से सिलाई उद्योग व वस्त्र उद्योग में कार्यारत महिलाओं के समान वेतन एवं दिन में मात्र 10 घण्टों के कार्य निर्धारण के लिए हड़ताल की। यह हड़ताल इतनी व्यापक व सशक्त थी

कि इसकी याद में इसी दिवस को, विश्व भर में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आज भी मनाया जाता है।

मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के सजग प्रहरी संयुक्त राष्ट्रसंध, मानवधिकार आयोग, महिला आयोग आदि को सशक्त करने के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों से हमारी आधी अधूरी दुनियॉ पर्याप्त शक्तिशाली हुई है, जिसके सुखद परिणाम मानव जीवन के विविध आयामों में देखते ही बनते हैं। जैसे– श्रीमती इन्दिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, विजयालक्ष्मी पण्डित, फातिमा बीबी, कल्पना चावला, शान्तारंगा स्वामी, बछेन्द्रीपाल, सुस्मिता सेन, किरन बेदी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, नियति की बेटी बेनजीर, कुंदाभगत (वकील), महबूब मुफ्ती, सुनीता विलियम, भण्डार नायके आदि के नाम और इनके सुकृत्यों से कौन अपरिचित होगा?

इतना ही नहीं आधुनिक भारतीय महिलाएॅ जीवन की तरक्की के लिए ऐसे फैसले ले रही हैं, जो परिवार से लेकर देश तक का भाग्य लिख रहे हैं। इस बदलाव ही पहली प्रयोगशाला बने हैं, भारतीय मध्यमवगीय परिवार।[10] साथ ही आज की नारी आत्मबल से भरपूर होकर उस दरख़्त को ही समूल विनष्ट करने को कटिबद्ध है, जो उसे तिल–2 जलाकर मार डालने को उतारू है। कुछ वर्ष पहले ही सुमन मिश्रा ने अपने पति की प्रताड़ना से आजिज होकर आत्महत्या न कर, अपने पति की ही हत्या कर डाला। यह अधर्म नहीं अपितु धर्म है। आत्महत्या तो कायरता की चरमपरिणति है किन्तु रोड़ा को जड़ से ही समाप्त कर देना दिलेरी है .....। नारी में यह आत्मबल मानवाधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सद्प्रयासों का ही सुखद परिणाम है।

वस्तुतः नारी के अस्तित्व को समझे बिना इस जगत का संचालन सुचारु रूप से संभव ही नहीं है। महिलाएॅ राष्ट्र की अक्षय निधि हैं। आज की महिला में जिजीविषा, हिम्मत और लगन है तथा वह अपने दायित्वों का निर्वहन करने और मार्ग में आयी चुनौतियों का डरकर सामना करने में सर्वथा सक्षम है। यदि हम श्रद्धयुक्त होकर नारी के साथ समरसता का भाव रखें तो सत्य है कि यह भूमि (विश्व और जीवन) कल्याणगयी ही बनेगी अन्यथा मानव की अमोघशक्ति का हास होगा और यह लोक संकट एवं संघर्ष से ही भरा रहेगा। प्रसाद जी ने लिखा भी है–

तुम भूल गये पुरूषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की,
समरसता है संबन्ध बनी अधिकार और अधिकारी की।

सच तो यह है कि जबतक हम नारी के त्याग और समर्पण को उसकी उदारता एवं महानता के बजाय उसकी निर्बलता एवं मजबूरी मानेंगे तब तक अहं का पूर्ण परित्याग दुष्कर ही नहीं अपितु असम्भव होगा। आज नारी सशक्त हुई है, इसमें रंचमात्र भी संदेह नहीं है, किन्तु मात्र नियम, कानून बना दने से ही नारी सशक्त नहीं हो सकती, वह सुदृढ़ तभी हो सकती है जब हमारा चिन्तन धनात्मक एवं समष्टिमूलक होगा और हम उसे अमली जामा पहनाने के लिए पूरी ईमानदारी और क्षमता से जुट जॉयेगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1. भारत का संविधान–जयनारायण पाण्डेय, पृ0 60–61, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद–2, 1980।
2. वही
3. (1979)/उ0 म0 नि0 प0 243 (1978)। एस0 सी0 सी0 248, न्यायमूर्ति भगवती का उद्धरण, पृ0 277।
4. वही, पाण्डेय पृ0 61।
5. पं0 पुरूषोत्तम शुक्लः सत्संग के क्षणों में उद्भूत विचार।
6. अभय कुमार दूबेः पितृसत्ता के नये रूप, संकलितः भूमण्डलीकरण का प्रतिभूगोल, सम्पादनः राजेन्द्र यादव, प्रभा खेतान, अभय कुमार दूबे।
7. प्रभा खेतानः हंस की नारीवादी उड़ान, संकलितः वही।
8. अन्नू आनन्द, अमर उजाला, रुपायन 17 अगस्त 2007, पृ0 2।
9. राष्ट्रीय संगोष्ठी स्मारिका, 2006, सलतनत बहादुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बदलापुर, जौनपुर (उ0 प्र0)।
10. दैनिक जागरणः 27 अक्टूबर, 2007 संगिनी पृ0 1।